

2019 का विधेयक सं.3

राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2019

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के उनहतरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2019 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 1994 के राजस्थान अधिनियम सं. 13 की धारा 19 का संशोधन.- राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 13), की धारा 19 में,-

(i) खण्ड (थ) के अंत में आये विद्यमान विराम चिह्न ";" के स्थान पर विराम चिह्न ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा; और

(ii) विद्यमान खण्ड (द), (ध), (न) और स्पष्टीकरण-III हटाये जायेंगे।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 19 के खण्ड (द), (ध) और (न), जिला परिषद् और पंचायत समिति के सदस्य के लिए, साथ ही किसी पंचायत के सरपंच के लिए शैक्षिक अर्हता का उपबंध करते हैं। यह विचार किया गया कि शैक्षिक अर्हता के ये उपबंध, जमीनी स्तर पर मतदाताओं के चुनाव लड़ने के अधिकार पर अयुक्तियुक्त निर्बंधन लगाते हैं। इसलिए, यह प्रस्तावित है कि सरपंच के पद का या जिला परिषद् या पंचायत समिति के सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए शैक्षिक अर्हता का यह निर्बंधन हटाया जाये। तदनुसार, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 19 के खण्ड (द), (ध) और (न) और स्पष्टीकरण-III हटाये जाने प्रस्तावित हैं।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अतः विधेयक प्रस्तुत है।

सचिन पायलट,
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं.
13) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX

19. किसी पंच या सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए अर्हताएं.-
किसी पंचायती राज संस्था के मतदाताओं की सूची में मतदाता के रूप में
रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक व्यक्ति ऐसी पंचायती राज संस्था के पंच या,
यथास्थिति, सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए अर्हित होगा यदि ऐसा
व्यक्ति-

- (क) से (थ) XX XX XX XX XX
- (द) जिला परिषद् या पंचायत समिति के सदस्य के मामले में,
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान या उसके समकक्ष किसी
बोर्ड से माध्यमिक विद्यालय परीक्षा उत्तीर्ण हो;
- (ध) किसी अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत के सरपंच के मामले में,
किसी विद्यालय से कक्षा 5 उत्तीर्ण हो; और
- (न) किसी अनुसूचित क्षेत्र में की पंचायत से भिन्न किसी
पंचायत के सरपंच के मामले में, किसी विद्यालय से कक्षा
8 उत्तीर्ण हो:

परन्तु-

- (i) से (v) XX XX XX XX XX
- स्पष्टीकरण-I.- XX XX XX XX XX
- स्पष्टीकरण-II.- XX XX XX XX XX
- स्पष्टीकरण-III.- इस धारा के खण्ड (ध) और (न) के प्रयोजन के लिए-

- (i) "अनुसूचित क्षेत्र" से भारत के संविधान के
अनुच्छेद 244 के खण्ड (1) में यथा निर्दिष्ट
अनुसूचित क्षेत्र अभिप्रेत हैं; और

- (ii) शब्द "विद्यालय" का वही अर्थ होगा जो उसे निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 35) की धारा 2 के खण्ड (ढ) में दिया गया है।

XX**XX****XX****XX****XX**

(Authorised English Translation)

**THE RAJASTHAN PANCHAYATI RAJ (AMENDMENT)
BILL, 2019**

(To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

*A
Bill*

further to amend the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-ninth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Panchayati Raj (Amendment) Act, 2019.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 19, Rajasthan Act No. 13 of 1994.- In section 19 of the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 13 of 1994),-

- (i) in clause (q), for the existing punctuation mark “;” appearing at the end, the punctuation mark “:” shall be substituted; and
 - (ii) existing clauses (r), (s), (t) and Explanation-III shall be deleted.
-

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Clauses (r), (s) and (t) of section 19 of the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 provide for educational qualification for a member of the Zila Parishad and the Panchayat Samiti as well as for a Sarpanch of a Panchayat. It is considered that the provisions of educational qualification create unreasonable restriction on the right of the voters to contest election at the grass root level. Therefore, it is proposed that the restriction of educational qualification for contesting election for the office of a Sarpanch or a member of a Zila Parishad or a Panchayat Samiti be removed. Accordingly, the clauses (r), (s) and (t) of section 19 and Explanation III of section 19 of the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 are proposed to be deleted.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

**सचिन पायलट,
Minister Incharge.**

**EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN
PANCHAYATI RAJ ACT, 1994
(Act No. 13 of 1994)**

XX XX XX XX XX XX XX

19. Qualifications for election as a Panch or a member.-

Every person registered as a voter in the list of voters of a Panchayati Raj Institution shall be qualified for election as a Panch or, as the case may be, a member of such Panchayati Raj Institution unless such person-

(a) to (q) xx xx xx xx xx xx

(r) in case of a member of a Zila Parishad or a Panchayat Samiti, has not passed secondary school examination of the Board of Secondary Education, Rajasthan or of an equivalent Board;

(s) in case of a Sarpanch of a Panchayat in a Scheduled Area, has not passed class V from a School; and

(t) in case of a Sarpanch of a Panchayat other than in a Scheduled Area, has not passed class VIII from a School:

Provided that -

(i) to (v) xx xx xx xx xx xx

Explanation-I.- xx xx xx xx xx xx

Explanation-II.- xx xx xx xx xx xx

Explanation-III.- For the purpose of the clauses (s) and (t) of this section-

(i) "Scheduled Area" means the Scheduled Area as referred to in clause (1) of article 244 of the Constitution of India; and

(ii) the word "School" shall have the same meaning as assigned to it in clause (n) of section 2 of the Right of Children to

Free and Compulsory Education Act,
2009 (Central Act No. 35 of 2009).

XX XX XX XX XX XX XX

राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2019

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

दिनेश कुमार जैन,
सचिव।

(सचिन पायलट, प्रभारी मंत्री)

**THE RAJASTHAN PANCHAYATI RAJ (AMENDMENT)
BILL, 2019**

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

further to amend the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

Dinesh Kumar Jain,
Secretary.

(Sachin Pilot, Minister-Incharge)